न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारीः— श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्याः— 54/2020 (GCMS No. 2020/00054) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. धूल्या पुत्र श्री अम्बालाल जाति मीना उम्र 75 साल पेशां काश्तकारी निवासी बोरीफ तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर।
2. जिला कलक्टर, सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडैन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार सवाई माधोपुर दिनांक 21.01.2014 प्रकरण संख्या 71/2014 उनवान सरकार बनाम धूल्या।

उपस्थितिः—

1. श्री भंवरसिंह जादौन, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रेस्पोडैन्ट

निर्णय दिनांक : 14.07.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश नायब जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 17.06.2019 एवं तहसीलदार सवाई माधोपुर के आदेश दिनांक 21.01.2014 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सवाई माधोपुर ने दिनांक 21.01.2014 को अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 631 रकवा 1.11 हैक्टे. पर अतिक्रमण मानकर गलत ढंग से तीन माह की सिविल कारावास एवं लगान की

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

50 गुना पेनल्टी के दण्ड से दण्डित किया गया है। जिसके विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडैन्ट को जरिये नोटिस तलव किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडैन्ट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 631 रकवा 1.11 हैक्टे. पर अतिक्रमण मानकर गलत ढंग दण्डित किया गया है। उक्त भूमि तालाबी है, जिसे सरकार द्वारा यू.आई.टी. को आवंटन कर दी गई है। अपीलान्ट ही उक्त भूमि पर काश्त करता आ रहा है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि से कब्जा हटा लिया है। आवंटन के बाद यू.आई.टी. के नाम नामांतरकरण संख्या 299 दिनांक 20.10.2014 से दर्ज हो गया है और कब्जा प्राप्त कर लिया है। अपीलान्ट का कब्जा होने का प्रशन ही नहीं है। जमीन का आवंटन दूसरे को कर दिया गया तो उनके खिलाफ धारा 91 की कार्यवाही वैधानिक नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुनने व समझने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया और न ही मौके की स्थिति के संबंध में जानकारी की गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का फैसला दिनांक 21.01.2014 एवं 17.06.2019 को निरस्त किया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय बहाल रखा जावे।

5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 631 रकवा 1.11 हैक्टे. वांके ग्राम बोरिफ गै. मु. तालाब पर अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुये अपीलान्ट के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.01.2014 पारित करते हुये बेदखली, शास्ती और सिविल कारावास का दण्डादेश दिया, जिसके विरूद्ध बाद सुनवाई न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 17.06.2019 को अपीलान्ट की अपील खारिज कर दी। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करते समय अपीलान्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया। अपीलान्ट का यह कथन कि विवादित आराजी बाद आवंटन यू.आई.टी.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर

के नाम दर्ज हो चुकी हैं। यू.आई.टी. ने कब्जा प्राप्त कर लिया है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा नहीं है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार सवाई माधोपुर की मौका रिपोर्ट दिनांक 18.02.2019 में स्पष्ट रूप से अपीलान्ट का विवादित आराजी पर गेहूँ की फसल कर कब्जा काश्त करने बावत् तथ्य उल्लेखित है। जिससे न्यायालय के मत में अपीलान्ट का विवादित आराजी पर अभी भी कब्जा बना हुआ है। अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी पर बिना किसी विधिक अधिकार के अतिक्रमण किया हुआ है। न्यायालय के मत में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बिना किसी विधिक त्रुटि के पारित किये गये हैं, जिनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त तथ्यों के आलोक में अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने योग्य है।

6. अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.01.2014 एवं 17.06.2019 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 14.07.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14.07.2023

(अखिलेश कुमार पिपल)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
भरतपुर